आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34/2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई।	
	टेलीफोन के जरिये हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता, श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को कम अनाज उपलब्ध कराये जाने के कारण ही लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराया गया। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता है कि विभाग की कमी एवं खामी का खामियाजा लाभुकों को भुगतने नहीं दिया जा सकता। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता को जितने अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किस मद से एवं कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा, यह विभाग की जिम्मेवारी है। आयोग किसी भी लाभुक को निर्धारित मात्रा से कम अनाज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई करेगा। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया, तो आयोग अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है।	
	आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।	
	(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx113	